


# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 287/NCRES/ 19

दिनांक 04.11.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियन्ता  
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

विषय:- रेल दुर्घटना के दौरान ब्रेक डाउन ड्यूटी में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन के एवज में किये जाने वाले नगद भुगतान के दर को बढ़ाया जाना।

सन्दर्भ:- (1) NCRES पी.एन.एम. आइटम नं. 20 / 2017  
(2) NCRES का पत्र दिनांक 09.07.2019

महोदय,

रेल दुर्घटना के दौरान ब्रेक डाउन ड्यूटी में कार्य करने के लिय बुलाये गये सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को, उस अवधि के दौरान, जिसमें वे ब्रेक डाउन ड्यूटी पर हो, उन्हें निःशुल्क भोजन की आपूर्ति न कर पाने पर किये जाने वाले नगद भुगतान के दर को बढ़ाने के लिये उपरोक्त संदर्भित PNM मद सं. 20 / 2017 पर वार्ता में आश्वासन दिया गया था कि नगद भुगतान के दर को बढ़ाने के लिये जल्द कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक महोदय से दो-तीन बार वार्ता हो चुकी है और महाप्रबन्धक महोदय ने बताया है कि आहार भत्ते की दर बढ़ाने के लिये सहमति दी जा चुकी है, लेकिन खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि अभी तक आहार भत्ते की दर बढ़ाने का कोई आदेश प्रधान कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

NCRES का अनुरोध है कि दुर्घटना के समय चाय, नाश्ता और भोजन के एवज में दिये जाने वाले नगद भुगतान की दर बढ़ाने का आदेश जारी किया जाय और आदेश में NCRES के PNM मद सं. 20 / 2017 का जिक्र अवश्य किया जाय।

*mij p. y.*  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री